कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक 137 /जे.डी.ए./मॉडल मानचित्र–(2021–2022) दिनांक 07 जुलाई, 2021

मै0 राधे राधे फार्म हाउसिंग एल.एल.पी.
डायरेक्टर श्री कैलाश नारायण गुप्ता
पुत्र स्व. श्री मोहन लाल गुप्ता
निवासी–मेडीकल कॉलेज के सामने, झांसी।

आप द्वारा प्रस्तुत स्थल मौजा–मैरी, झांसी के आराजी संख्या–254 एवं 254/10 पर वाद पत्रावली संख्या–101/उपाध्यक्ष/2020–21 का शमन मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके भूखण्ड संख्या 01 से 60 भूखण्डों का मॉडल मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया है, को निम्नलिखित शर्तो के साथ मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। स्वीकृति मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुसार कराया जायेगा ।
7. आप भवन उपनियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. बंधक भूखण्डों/भवनों को अवमुक्त कराने के बाद ही विक्रय किया जायेगा।
12. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर, कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।
प्रतिलिपि :– वाद लिपिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6.7.21
सचिव
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी